न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 05/2023 (2023/7)

अपीलार्थीपक्ष

कानाराम पुत्र वीजाराम, जाति सरगरा, उम्र 85 वर्ष, निवासी ग्राम सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. मोतीबाई पत्नी कानाराम मेघवाल।
2. देदाराम पुत्र कानाराम मेघवाल।
3. खींवराज पुत्र कानाराम मेघवाल।
4. श्यामलाल पुत्र कानाराम मेघवाल।
5. मनोहर पुत्र कानाराम मेघवाल।
   जातियान् मेघवाल, निवासीगण ग्राम सरेचा, तहसील लूणी, हाल पता रामबाग सेवा सदन स्कूल के सामने, कागा रोड़, जोधपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1226 ग्राम सतलाना जो तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 08.10.2001 को स्वीकृत किया गया।

————

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार (अपीलार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा (रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 5 तक)।

–: आदेश :– दिनांक :– 17.02.2023

अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 1226 ग्राम सतलाना जो तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 08.10.2001 को स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेश की है। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी की सामलाती खातेदारी भूमि खसरा नं0 375 गांव सतलाना तहसील लूणी में आई हुई है। अपीलार्थी को मृत बताकर उसकी भूमि का नामान्तरकरण रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अपीलार्थी का उत्तराधिकारी बताते हुए स्वीकृत करवा लिया जबकि अपीलार्थी जीवित है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 14.02.2023 को सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:33:22 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार ने बहस में बतलाया कि रेस्पो0 संख्या 01 कानाराम मेघवाल की पत्नी तथा रेस्पो0 संख्या 2 से 5 कानाराम मेघवाल के पुत्र है जिन्होनें अपीलार्थी कानाराम सरगरा को मृत बताकर विरासत का नामान्तरकरण उनके नाम से स्वीकार कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध पूर्व में एक अपील जरिये अधिवक्ता के न्यायालय में पेश की गई जो दिनांक 18.07.2015 को अपीलार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज कर दी गई। अपीलार्थी एक अनपढ़, अनुसूचित जाति का वृद्ध ग्रामीण काश्तकार है जो अपने अधिवक्ता पर विश्वास करता रहा। अंत में जब अपीलार्थी काफी परेशान हो गया तो अन्य वकील के मार्फत दिनांक 21.11.2022 को पता करवाया तो मालूम हुआ की उक्त अपील दिनांक 18.07.2015 को ही अपीलार्थी के अधिवक्ता की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी को उसके सम्पति के अधिकार से पटवारी हल्का व अधिवक्ता की गलती के कारण वंचित होना पड़ रहा है। अपीलार्थी खसरा संख्या 375 ग्राम सतलाना का सह खातेदार है एवं जीवित है तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 5 अपीलार्थी के वारिस नहीं है बल्कि कानाराम मेघवाल के वारिस है जबकि अपीलार्थी कानाराम की जाति सरगरा है। पटवारी ने बिना कोई जांच किए नामान्तरकरण के जरिये अपीलार्थी का नाम हटा दिया, जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि अपीलार्थी को पटवारी ने बताया कि गांव सतलाना में ही कानाराम मेघवाल के फौत होने पर उसकी भूमि खसरा नं0 589/1, 611, 618/1, 619, 620, 621, 621/1, 622 व 623 में उसके हिस्से का नामान्तरकरण उसके वारिसों के नाम स्वीकार करते समय गलती से कानाराम सरगरा की भूमि खसरा संख्या 375 गांव सतलाना का भी नामान्तरकरण रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के नाम स्वीकार कर दिया गया इस कारण अपीलार्थी को उक्त अपील पेश करनी पड़ी। अपीलार्थी खसरा संख्या 375 की भूमि में सहखातेदार था तथा आज भी विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त है। बहस के अन्त में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करने की इस्तदुआ की।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने अपील का जबाव पेश कर बतलाया कि ग्राम सतलाना तहसील लूणी की खसरा संख्या 375 की कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति व 2 से 5 के पिता स्व. कानाराम मेघवाल की कभी भी नहीं रही। स्व. कानाराम मेघवाल की खातेदारी भूमि ग्राम सतलाना के खसरा नं0 589/1, 611, 618/1, 619, 620, 621, 621/1, 622 व 623 की है जिनका नामान्तरकरण दर्ज करते समय खसरा संख्या 375 जो कानाराम सरगरा की खातेदारी कृषि भूमि है उसको भी जरिये नामान्तरकरण संख्या 1226 के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम अमल दरामद कर दी गई जबकि खसरा संख्या 375 का खातेदार कानाराम सरगरा जीवित है। अन्त में अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करने की इस्तदुआ की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पहले धारा 5 [illegible] का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस् ने धारा 5 [illegible] प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि उक्त नामान्तरकरण के [illegible] जरिये अधिवक्ता के न्यायालय में पेश की गई जो दिनांक 18.07.2015 को अपीलार्थी के अधिवक्ता की

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:22 IST
Reason: SelfAttested

अनुपस्थिति में खारिज कर दी गई। अपीलार्थी एक अनपढ़, अनुसूचित जाति का वृद्ध ग्रामीण काश्तकार है जो अपने अधिवक्ता पर विश्वास करता रहा। अंत में जब अपीलार्थी काफी परेशान हो गया तो अन्य वकील के मार्फत दिनांक 21.11.2022 को पता करवाया तो मालूम हुआ की उक्त अपील दिनांक 18.07.2015 को ही अपीलार्थी के अधिवक्ता की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। अपीलार्थी की पूर्व में अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई थी इस कारण अपीलार्थी की अपील का गुणावगुण पर निर्णय नहीं हो पाया। अपीलार्थी की अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना न्यायोचित है। रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करने तथा अपील में हुई देरी का अपीलांटस् के पास न्यायोचित कारण होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार है कि अपीलार्थी कानाराम सरगरा की कृषि भूमि ग्राम सतलाना खसरा नम्बर 375 में स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति व 2 से 5 के पिता कानाराम मेघवाल के फौत होने पर कानाराम मेघवाल की खातेदारी भूमि ग्राम सतलाना के खसरा नं0 589/1, 611, 618/1, 619, 620, 621, 621/1, 622 व 623 का नामान्तरकरण दर्ज करते समय खसरा संख्या 375 जो कानाराम सरगरा की खातेदारी कृषि भूमि है उसको भी जरिये नामान्तरकरण संख्या 1226 के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज कर दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने भी अपील के जबाव में स्वीकार किया कि ग्राम सतलाना के खसरा संख्या 375 की भूमि कानाराम मेघवाल की नहीं होकर अपीलार्थी कानाराम सरगरा की है। यदि अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1226 ग्राम सतलाना जो तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 08.10.2001 को स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लूणी को निर्देश दिये जाते है कि वह माफिक आदेश अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करे। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:22 IST
Reason: SelfAttested